राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प.1 (52)एमई/ग्रुप–1/83 पार्ट जयपुर, दिनांक 25–03–2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. अर्जित नागर (ओबीसी), जिनकी जन्मतिथि 15–02–1985 है एवं मेरिट संख्या एम–13/बीसी है, को वरिष्ठ प्रदर्शक, पी. एण्ड एस.एम. के पद पर वेतन श्रृंखला 15600–39100 (ग्रेड पे–5400) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 16800/– प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. नागर का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में वरिष्ठ प्रदर्शक, पी. एण्ड एस.एम. के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होगें।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तो के तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(60)भर्ती/गोपनीय/2008–09/543 दिनांक 14.01.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, उदयपुर ।
6. डॉ. अर्जित नागर, पुत्र श्री रामबाबू नागर, म.न. 309, भरत मार्ग, सरस्वती कॉलोनी, खेडली फाटक, कोटा–324001 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(52)एम.ई./ग्रुप–1/83 पार्ट जयपुर, दिनांक : 28.5.13

डॉ0 अर्जित नागर
पुत्र श्री रामबाबू नागर,
म.नं.–309, भरत मार्ग,
सरस्वती कॉलोनी, खेडली फाटक,
कोटा (राज.)–324001

विषयः– कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25–3–2013 के द्वारा आपको वरिष्ठ प्रदर्शक–पी.एण्ड़ एस.एम. के पद पर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में नियुक्ति प्रदान करते हुए पत्र जारी होने की तिथि से 4 सप्ताह में कार्यग्रहण करने के निर्देश दिये गये थे। आप द्वारा कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि किये जाने का निवेदन किया गया हैं।

अतः आपके निवेदन पर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में वरिष्ठ प्रदर्शक–पी.एण्ड़ एस.एम. के पद पर उपस्थिति देने हेतु आपके कार्यग्रहण काल में दिनांक 10–6–2013 तक की अभिवृद्धि की जाती हैं।

भवदीय,

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि : प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ0 अर्जित नागर द्वारा उक्त अभिवृद्धित अवधि में उपस्थिति दिये जाने संबंधी सूचना इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक प.1 (12)एमई / ग्रुप–1 / 96 जयपुर, दिनांक 27.5.13

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30–04–2013 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन होने पर डॉ. (श्रीमती) जयन्ती माला (एससी) को मेडिकल कालेज, कोटा में वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये डॉ. जयन्ती माला को मेडिकल कॉलेज, कोटा के स्थान पर मेडिकल कालेज, जयपुर में नवसृजित रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

डॉ. माला को अपनी उपस्थिति दिनांक 05–06–2013 को आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर देनी होगी।

आज्ञा से,

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1– निजी सचिव, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री / राज्यमंत्री महोदय।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3– अतिरिक्त निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4– प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा / जयपुर।
5– निदेशक (जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
6– डॉ. (श्रीमती) जयन्ती माला, 108, भगवती नगर–द्वितीय, करतारपुरा, जयपुर–6 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7.– निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एमई/ग्रुप–1/91 पार्ट जयपुर, दिनांक 27.5.13

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22–05–2013 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन होने पर डॉ. रजत मालोत को मेडिकल कालेज, उदयपुर में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये डॉ. मालोत को मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के स्थान पर मेडिकल कालेज, जयपुर में अन्य विशिष्ठता में रिक्त सह आचार्य के पद विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है।

डॉ. मालोत को अपनी उपस्थिति दिनांक 05–06–2013 को आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर देनी होगी।

आज्ञा से,

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, उदयपुर/जयपुर ।
5. डॉ. रजत मालोत, 70, शिव कृपा, गली न. 5, मोहन कॉलोनी, बांसवाड़ा–327001 (रजिस्टर्ड डाक से)।
6. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव